

WHO Raises Global Alarm Over Rare Ebola Virus Outbreak



A new strain of the Ebola virus, dubbed the Bundibugyo strain, has been spreading outside of Africa and has infected people across both the Democratic Republic of Congo and Uganda, according to the World Health Organisation (WHO). There have been dozens of deaths and hundreds of suspected infections since the outbreak took place, with fears about its international spread. In contrast, the less frequently seen Bundibugyo strain of Ebola does not have a specific treatment or vaccine approved. Insufficient health care infrastructure, frequent residential mobility and the lack of stability in the region could exacerbate the situation, said WHO officials. To prevent any further spread, global health organisations are now focusing on surveillance, containment, rapid testing, and coordination with other countries.

Key Highlights of Rare Ebola Virus Outbreak

- The Ebola virus outbreak was declared a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) by the World Health Organisation.
- It is a rare outbreak of the Ebola virus—the Bundibugyo strain.
- Initial observations of cases were made in Ituri Province of the Democratic Republic of Congo (DRC).
- Uganda has also had confirmed cases of Ebola arising from travel across its borders.
- WHO claimed that there were hundreds of suspected infections and dozens of deaths.
- At this time, there is no licensed vaccination or anti-viral drugs for the Bundibugyo strain.
- Ebola is transmitted via direct contact with Ebola-infected body fluids.

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

- Signs of infection consist of fever, vomiting, bleeding, weakness and severe dehydration.
- Among the affected groups in the outbreak are healthcare workers.
- Underreporting could make the outbreak even bigger than it currently is, the WHO said.
- International spread, due to porous borders and population flow.
- Emergency personnel and resources are being sent out to impacted areas.
- Strengthening of infection prevention and surveillance systems.
- WHO recommended that countries not enact needless restrictions on travel or trade.
- The outbreak underscores the need for global health preparedness and response initiatives.
- Since 1976, the Democratic Republic of the Congo has had several Ebola outbreaks.
- Containment is challenging due to the humanitarian crisis and active armed conflict in the situation.
- Reducing the risk of transmission is through public awareness campaigns.
- African health officials are working with international agencies to control the outbreak.
- Topics engaging health organisations, disease and global governance, will benefit from the development.

PYQs Related to WHO, Ebola, and Global Health

| Exam Name & Year | Question | Options | Answer |
|-------------------|---|---|--|
| UPSC Prelims 2020 | The headquarters of the World Health Organisation (WHO) is located in which city? | A. Paris B. Geneva C. New York D. Vienna | B. Geneva |
| SSC CGL 2022 | Ebola virus disease primarily spreads through which method? | A. Airborne transmission only B. Mosquito bites C. Contact with infected bodily fluids D. Contaminated soil | C. Contact with infected bodily fluids |
| UPSC Prelims 2019 | WHO is a specialised agency of which organisation? | A. IMF B. World Bank C. United Nations D. WTO | C. United Nations |
| SSC CHSL 2023 | Which continent has been most affected by Ebola outbreaks? | A. Europe B. Asia C. Africa D. Australia | C. Africa |

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

| | | | |
|----------------------|---|--|---|
| State PCS 2021 | What does PHEIC stand for in global health terminology? | A. Public Health Emergency of International Concern B. Public Health Event in Countries C. Primary Health Emergency International Council D. Public Hygiene Emergency Infection Control | A. Public Health Emergency of International Concern |
|----------------------|---|--|---|

Conclusion

The Ebola outbreak in central Africa has put global health security and international cooperation in terms of managing infectious diseases firmly back on the global agenda. WHO's global health emergency declaration is a stark reminder that this situation isn't to be taken lightly or poses a threat to domestic borders. The few vaccines and treatments available are not approved against the Bundibugyo strain, and there is also a need for prompt surveillance, early detection and infection control measures. The outbreak also highlights the difficulties for health systems in areas of conflict. The knowledge of institutions such as the WHO, disease outbreaks, and the emergency mechanisms in the world is extremely significant for general and current affairs, as well as competitive exams.

President Promulgates Ordinance to Increase Supreme Court Judges Strength by 4



The President of India issued Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, to bring the sanctioned strength of judges in Supreme Court from 33 to 37 judges (Supreme Court may have the Chief Justice of India as well). The amendment has led to an increase in the number of judges in the apex court to 38, at present, including the CJI. The decision was made to lighten the backlog of cases and speed up the judiciary. This Ordinance made the necessary changes to the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956. The proposal had been earlier approved by the Union Cabinet, which had emphasised the need for quicker justice delivery and better judicial infrastructure in the country.

Key Objective of Supreme Court Judges Strength Increase

- The President issued the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance 2026.
- The sanctioned strength of the Supreme Court bench was raised from 33 to 37 judges (excluding the Chief Justice of India).
- The strength of the Supreme Court now stands at 38 with the CJI.
- The ordinance modified the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956.
- The move aims to reduce the large backlog of pending cases in the apex court.

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

- The Union Cabinet on 25th May 2028 approved the proposal.
- The government assured that there will be speedy justice with the additional judges.
- Article 124 of the Constitution gives Parliament the authority to fix the number of judges in the Supreme Court.
- The Supreme Court is the top court in India.
- Ordinances are promulgated by the President during Parliament's recess.
- If an Ordinance is passed, it bears the same force as a law passed by Parliament.
- The ordinance needs to be approved in due course by Parliament within the constitutional time limit.
- With the rise in the number of cases being filed in courts, judicial reforms have become significant.
- The last change in the strength of the Supreme Court was in 2019.
- There are hopes that there will be more judges to assist in the speedy disposal of criminal, civil and constitutional cases.
- The Supreme Court is also the guardian and protector of the Constitution and Fundamental Rights.
- Addressing judicial capacity is seen as a crucial aspect of enhancing access to justice.
- The allocations of salaries and infrastructure will come from the Consolidated Fund of India.
- The proposal is to update and improve the Indian judiciary with the transition.

Recently Asked PYQs

| Exam Name & Year | Question | Options | Answer |
|-------------------|--|---|-----------------------|
| UPSC Prelims 2020 | Which Article of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances? | A. Article 123 B. Article 143 C. Article 32 D. Article 356 | A. Article 123 |
| SSC CGL 2022 | Who appoints the judges of the Supreme Court of India? | A. Prime Minister B. President of India C. Parliament D. Chief Justice alone | B. President of India |
| UPSC Prelims 2019 | The Supreme Court of India was established under which Part of the Constitution? | A. Part III B. Part IV C. Part V D. Part VI | C. Part V |
| SSC CHSL 2023 | Who is known as the guardian of the Indian Constitution? | A. Parliament B. Supreme Court C. Election Commission D. UPSC | B. Supreme Court |

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

State PCS 2021 An ordinance issued by the President must be approved by Parliament within how many weeks of reassembly? A. 4 weeks B. 6 weeks C. 8 weeks D. 12 weeks

Conclusion - Supreme Court Expansion

The ordinance to make Supreme Court judges more powerful is certainly a step towards robustening the judicial system of India and speeding up justice delivery. The pressure on the top court, in recent years, has been a result of litigation and heavy workload of unheeded cases, due to which an expansion of the Judges is inevitable as per the need of the apex court. The Government will ensure efficiency and minimise delays in the courts by increasing the number of judges. The development also underscores the judicial administrative powers of the President and Parliament in the Constitution. Topics like ordinance, Article 124, judicial reforms, and the Supreme Court are very significant as far as competitive examinations and current affairs preparation are concerned.

CBSE Introduces Mandatory Third Language for Class 9 From July 1



The Central Board of Secondary Education (CBSE) has decided that from July 1, 2026, the study of a third language shall be made compulsory for the 9th-class students. This new policy has come in the backdrop of the National Education Policy (NEP) 2020 and the National

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

Curriculum Framework for School Education (NCF-SE) 2023. As per the revised language scheme, students will study 3 languages in Classes 9-10, of which 2 or more will be Indian languages (R1, R2 & R3). CBSE clarified that the third language will not be a part of the Class 10 Board examination, and a school-based assessment and internal assessment will continue.

Key Highlights of CBSE Third Language Policy for Class 9

- CBSE has introduced the policy for studying three languages in Classes 9 and 10 from 1st July 2026.
- The policy has been put in place in view of NEP 2020 and NCF-SE 2023 methodology.
- Students will be studying 3 languages: R1, R2 & R3.
- One of the three languages should be one or two of the native Indian languages.
- Only if Indian languages are the other two options, then we can select Foreign languages.
- CBSE clarified that there will be no 10th Board examination in the third language (R3).
- Schools will internally conduct their third language assessment.
- R3 marks will also be found on the CBSE certificate.
- No student will be disqualified from appearing in Class 10 Board Exams due to R3.
- The policy is intended to give a boost to multilingualism and the development of Indian languages.
- The three-language formula is being incorporated into the National Education Policy 2020.
- The transitional approach was implemented by CBSE as the academic session had begun in April 2026.
- In the case of a teacher shortage, schools may temporarily assign a teacher who has a "working command" of the language.
- Schools can use these Class 6 R3 textbooks as a resource for Class 9 learners, pending the issue of dedicated textbooks.
- School may supplement with local and regional literature.
- Relaxations as per the RPwD Act 2016 are available for children with Special Needs (CwSN).
- Exemption from the qualifications may be granted on a case-by-case basis to foreign students.
- The implementation of the three-language formula has triggered renewed state-by-state debates about the three-language formula.
- The Kothari Commission (1964-66) was the first to recommend the use of a three-language formula.

PYQs Related to Education Policy and CBSE

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

| Exam Name & Year | Question | Options | Answer |
|-------------------|---|---|---|
| UPSC Prelims 2020 | National Education Policy 2020 mainly focuses on which area? | A. Industrial growth B. Educational reforms C. Agricultural policy D. Defence policy | B. Educational reforms |
| SSC CGL 2022 | CBSE stands for which of the following? | A. Central Board of Secondary Education B. Council Board of School Education C. Central Bureau of School Education D. Council of Basic School Education | A. Central Board of Secondary Education |
| State PCS 2021 | Which commission first recommended the three-language formula in India? | A. Mandal Commission B. Sarkaria Commission C. Kothari Commission D. Punchhi Commission | C. Kothari Commission |
| SSC CHSL 2023 | NEP 2020 was launched in which year? | A. 2018 B. 2019 C. 2020 D. 2021 | C. 2020 |
| UPSC Prelims 2019 | Which Article of the Constitution deals with the promotion of the Hindi language? | A. Article 343 B. Article 351 C. Article 370 D. Article 356 | B. Article 351 |

Conclusion

The third language policy for Class 9 is a significant change in the National Education Policy 2020. The purpose of the movement is to encourage “Multilingualism”, to boost the Indian languages and to develop cultural awareness of students. CBSE aims for this through ensuring a minimum of two Indian languages are compulsory, with flexibility with regard to foreign language learning. The decision also comes as part of the government's wider efforts on a revolution in education for all and in all its aspects. For those aspiring for competitive examinations and those who are writing essays on education-related current affairs, it is essential for the students to understand the three-language formula and education governance in India as per NEP 2020.

HINDI

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुर्लभ इबोला वायरस के प्रकोप को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता जताई है।



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, इबोला वायरस का एक नया प्रकार, जिसे बंडीबुग्यो प्रकार नाम दिया गया है, अफ्रीका से बाहर फैल रहा है और इसने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा दोनों देशों में लोगों को संक्रमित किया है। प्रकोप शुरू होने के बाद से दर्जनों मौतों और सैकड़ों संदिग्ध संक्रमण हुए हैं, जिससे इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलने की आशंका है। इसके विपरीत, कम पाए जाने वाले बंडीबुग्यो प्रकार के इबोला के लिए अभी तक कोई विशिष्ट उपचार या स्वीकृत टीका उपलब्ध नहीं है। डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने कहा कि अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, बार-बार आवासीय आवागमन और क्षेत्र में अस्थिरता स्थिति को और बिगाड़ सकती है। आगे के प्रसार को रोकने के लिए, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन अब निगरानी, रोकथाम, त्वरित परीक्षण और अन्य देशों के साथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

दुर्लभ इबोला वायरस के प्रकोप की मुख्य विशेषताएं

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किया गया था।

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

- यह इबोला वायरस का एक दुर्लभ प्रकोप है - बंडीबुग्यो स्ट्रेन का।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) के इटुरी प्रांत में मामलों का प्रारंभिक अवलोकन किया गया।
- युगांडा में भी सीमा पार यात्रा करने के कारण इबोला के पुष्ट मामले सामने आए हैं।
- डब्ल्यूएचओ ने दावा किया कि सैकड़ों संदिग्ध संक्रमण के मामले थे और दर्जनों मौतें हुईं।
- फिलहाल, बंडीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त टीका या एंटी-वायरल दवा उपलब्ध नहीं है।
- इबोला का संचरण इबोला संक्रमित शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से होता है।
- संक्रमण के लक्षणों में बुखार, उल्टी, रक्तस्राव, कमजोरी और गंभीर निर्जलीकरण शामिल हैं।
- इस महामारी से प्रभावित समूहों में स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि कम रिपोर्टिंग से यह प्रकोप वर्तमान स्थिति से भी अधिक बड़ा हो सकता है।
- खुली सीमाओं और जनसंख्या प्रवाह के कारण इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार हुआ है।
- प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन कर्मियों और संसाधनों को भेजा जा रहा है।
- संक्रमण की रोकथाम और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना।
- डब्ल्यूएचओ ने सिफारिश की कि देश यात्रा या व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाएं।
- इस महामारी ने वैश्विक स्वास्थ्य तैयारियों और प्रतिक्रिया पहलों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।
- 1976 से लेकर अब तक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला के कई प्रकोप हो चुके हैं।
- मानवीय संकट और सक्रिय सशस्त्र संघर्ष के कारण स्थिति को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण है।
- संक्रमण के खतरे को कम करने का एक तरीका जन जागरूकता अभियान चलाना है।
- अफ्रीकी स्वास्थ्य अधिकारी इस प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
- स्वास्थ्य संगठनों, बीमारियों और वैश्विक शासन से जुड़े विषयों को इस विकास से लाभ होगा।

डब्ल्यूएचओ, इबोला और वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित पूर्व-वर्ष प्रश्न (PYQs)

| परीक्षा का नाम और वर्ष | सवाल | विकल्प | उत्तर |
|-------------------------|--|--|---|
| यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 | विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? | ए. पेरिस बी. जिनेवा सी. न्यूयॉर्क डी. वियना | बी. जिनेवा |
| एसएससी सीजीएल 2022 | इबोला वायरस रोग मुख्य रूप से किस विधि से फैलता है? | ए. केवल वायुजनित संचरण बी. मच्छर के काटने से सी. संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से डी. दूषित मिट्टी | सी. संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना |
| यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 | डब्ल्यूएचओ किस संगठन की एक विशेष एजेंसी है? | ए. आईएमएफ बी. विश्व बैंक सी. संयुक्त राष्ट्र डी. डब्ल्यूटीओ | सी. संयुक्त राष्ट्र |

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| SSC CHSL 2023 | इबोला के प्रकोप से सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप कौन सा रहा है? | ए. यूरोप बी. एशिया सी. अफ्रीका डी. ऑस्ट्रेलिया | सी. अफ्रीका |
| राज्य पीसीएस 2021 | वैश्विक स्वास्थ्य शब्दावली में PHEIC का पूरा नाम क्या है? | ए. अंतर्राष्ट्रीय चिंता का स्वास्थ्य आपातकाल बी. देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य घटना सी. प्राथमिक स्वास्थ्य आपातकाल अंतर्राष्ट्रीय परिषद डी. सार्वजनिक स्वच्छता आपातकाल संक्रमण नियंत्रण | ए. अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल |

निष्कर्ष

मध्य अफ्रीका में इबोला के प्रकोप ने संक्रामक रोगों के प्रबंधन के संदर्भ में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को वैश्विक एजेंडा पर फिर से मजबूती से ला खड़ा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा इस बात की स्पष्ट चेतावनी है कि इस स्थिति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और न ही यह घरेलू सीमाओं के लिए खतरा पैदा करती है। उपलब्ध कुछ टीके और उपचार बंडीबुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ अनुमोदित नहीं हैं, और त्वरित निगरानी, प्रारंभिक पहचान और संक्रमण नियंत्रण उपायों की भी आवश्यकता है। यह प्रकोप संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए कठिनाइयों को भी उजागर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जैसी संस्थाओं, बीमारियों के प्रकोप और विश्व में आपातकालीन तंत्रों का ज्ञान सामान्य और समसामयिक मामलों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 4 की वृद्धि करने के लिए अध्यादेश जारी किया



भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है (सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो सकते हैं)। इस संशोधन के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर वर्तमान में 38 हो गई है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। यह निर्णय लंबित मामलों को कम करने और न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में तेजी लाने के लिए लिया गया है। इस अध्यादेश ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में आवश्यक संशोधन किए हैं। इस प्रस्ताव को पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी, जिसने देश में त्वरित न्याय वितरण और बेहतर न्यायिक अवसंरचना की आवश्यकता पर जोर दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य

- राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया।
- सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर)।
- मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में अब 38 न्यायाधीश हैं।
- इस अध्यादेश ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया।
- इस कदम का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के भारी बैकलॉग को कम करना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मई 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

- सरकार ने आश्वासन दिया कि अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से शीघ्र न्याय मिलेगा।
- संविधान का अनुच्छेद 124 संसद को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार देता है।
- भारत में सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च अदालत है।
- संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं।
- यदि कोई अध्यादेश पारित किया जाता है, तो वह संसद द्वारा पारित कानून के समान ही प्रभावी होता है।
- संवैधानिक समय सीमा के भीतर संसद द्वारा अध्यादेश को उचित समय में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- अदालतों में दायर किए जाने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ, न्यायिक सुधार महत्वपूर्ण हो गए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में आखिरी बदलाव 2019 में हुआ था।
- ऐसी उम्मीद है कि आपराधिक, दीवानी और संवैधानिक मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक और रक्षक भी है।
- न्यायिक क्षमता को संबोधित करना न्याय तक पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है।
- वेतन और अवसंरचना संबंधी खर्चों का आवंटन भारत की संचित निधि से किया जाएगा।
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य परिवर्तन के दौरान भारतीय न्यायपालिका को अद्यतन और बेहतर बनाना है।

हाल ही में पूछे गए पिछले वर्ष के प्रश्न

| परीक्षा का नाम और वर्ष | सवाल | विकल्प | उत्तर |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 | संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? | ए. अनुच्छेद 123 बी. अनुच्छेद 143 सी. अनुच्छेद 32 डी. अनुच्छेद 356 | ए. अनुच्छेद 123 |
| एसएससी सीजीएल 2022 | भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? | ए. प्रधानमंत्री बी. भारत के राष्ट्रपति सी. संसद डी. केवल मुख्य न्यायाधीश | ख. भारत के राष्ट्रपति |
| यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 | भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के किस भाग के अंतर्गत की गई थी? | ए. भाग III बी. भाग IV सी. भाग V डी. भाग VI | सी. भाग V |
| SSC CHSL 2023 | भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? | ए. संसद बी. सर्वोच्च न्यायालय सी. चुनाव आयोग डी. यूपीएससी | बी. सर्वोच्च न्यायालय |

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

| | | |
|-------------------|---|---|
| राज्य पीसीएस 2021 | राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के पुनः गठित होने के कितने सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? | ए. 4 सप्ताह बी. 6 सप्ताह सी. 8 सप्ताह डी. 12 सप्ताह |
|-------------------|---|---|

निष्कर्ष - सर्वोच्च न्यायालय का विस्तार

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अधिक शक्तिशाली बनाने वाला अध्यादेश निश्चित रूप से भारत की न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने और न्याय वितरण में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय पर मुकदमों और लंबित मामलों के भारी बोझ के कारण दबाव बढ़ा है, जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में विस्तार अपरिहार्य हो गया है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर सरकार अदालतों में कार्यकुशलता सुनिश्चित करेगी और विलंब को कम करेगी। यह कदम संविधान में निहित राष्ट्रपति और संसद की न्यायिक प्रशासनिक शक्तियों को भी रेखांकित करता है। अध्यादेश, अनुच्छेद 124, न्यायिक सुधार और सर्वोच्च न्यायालय जैसे विषय प्रतियोगी परीक्षाओं और समसामयिक विषयों की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9 के लिए तीसरी भाषा को अनिवार्य कर दिया है।



**केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
भारत
असतो मा सद्गमय**

CBSE

**Introduces
Mandatory
Third Language
for Class 9 From July 1**

124

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने निर्णय लिया है कि 1 जुलाई, 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। यह नई नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम (NCF-SE) 2023 के मद्देनजर आई है। संशोधित भाषा योजना के अनुसार, कक्षा 9 और 10 में छात्र 3 भाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें से 2 या अधिक भारतीय भाषाएँ (R1, R2 और R3) होंगी। CBSE ने स्पष्ट

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

किया है कि तीसरी भाषा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा का हिस्सा नहीं होगी और विद्यालय आधारित मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन पहले की तरह ही जारी रहेंगे।

कक्षा 9 के लिए सीबीएसई की तृतीय भाषा नीति की मुख्य विशेषताएं

- सीबीएसई ने 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 और 10 में तीन भाषाओं के अध्ययन की नीति लागू की है।
- यह नीति एनईपी 2020 और एनसीएफ-एसई 2023 की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है।
- छात्र तीन भाषाओं का अध्ययन करेंगे: आर1, आर2 और आर3।
- इन तीन भाषाओं में से एक या दो भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए।
- यदि अन्य दो विकल्प भारतीय भाषाएँ हों, तभी हम विदेशी भाषाओं का चयन कर सकते हैं।
- सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा (आर3) में 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।
- स्कूल अपने तृतीय भाषा मूल्यांकन को आंतरिक रूप से आयोजित करेंगे।
- आर3 के अंक सीबीएसई प्रमाणपत्र पर भी मिलेंगे।
- आर3 के कारण किसी भी छात्र को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
- इस नीति का उद्देश्य बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं के विकास को बढ़ावा देना है।
- तीन भाषा प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया जा रहा है।
- यह संक्रमणकालीन दृष्टिकोण सीबीएसई द्वारा लागू किया गया था क्योंकि शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2026 में शुरू हुआ था।
- शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में, स्कूल अस्थायी रूप से ऐसे शिक्षक को नियुक्त कर सकते हैं जिसे उस भाषा का "कार्यकारी ज्ञान" हो।
- समर्पित पाठ्यपुस्तकों के जारी होने तक विद्यालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए संसाधन के रूप में कक्षा 6 की R3 की इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं।
- विद्यालय स्थानीय और क्षेत्रीय साहित्य से पूरक शिक्षा प्रदान कर सकता है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएनएसएन) के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार छूट उपलब्ध हैं।
- विदेशी छात्रों को मामले-दर-मामले के आधार पर योग्यता संबंधी छूट दी जा सकती है।
- तीन-भाषा फार्मूले के लागू होने से राज्यों में इस फार्मूले को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है।
- कोठारी आयोग (1964-66) तीन-भाषा सूत्र के उपयोग की सिफारिश करने वाला पहला आयोग था।

शिक्षा नीति और सीबीएसई से संबंधित पूर्व-वर्ष के प्रश्न

| परीक्षा का नाम और वर्ष | सवाल | विकल्प | उत्तर |
|-------------------------|---|--|-------------------|
| यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? | ए. औद्योगिक विकास बी. शैक्षिक सुधार सी. कृषि नीति डी. रक्षा नीति | बी. शैक्षिक सुधार |

Current Affairs Capsule for 18 May 2026 (CLASS24)

| | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| एसएससी सीजीएल 2022 | निम्नलिखित में से CBSE का पूरा नाम क्या है? | ए. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बी. विद्यालय शिक्षा परिषद सी. केंद्रीय विद्यालय शिक्षा ब्यूरो डी. बुनियादी विद्यालय शिक्षा परिषद | ए. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड |
| राज्य पीसीएस 2021 | भारत में तीन-भाषा फार्मूले की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने की थी? | ए. मंडल आयोग बी. सरकारिया आयोग सी. कोठारी आयोग डी. पुंछी आयोग | सी. कोठारी आयोग |
| SSC CHSL 2023 | एनईपी 2020 किस वर्ष में शुरू की गई थी? | ए. 2018 बी. 2019 सी. 2020 डी. 2021 | सी. 2020 |
| यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 | संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार से संबंधित है? | ए. अनुच्छेद 343 बी. अनुच्छेद 351 सी. अनुच्छेद 370 डी. अनुच्छेद 356 | बी. अनुच्छेद 351 |

निष्कर्ष

कक्षा 9 के लिए तीसरी भाषा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस पहल का उद्देश्य बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना और छात्रों में सांस्कृतिक जागरूकता विकसित करना है। सीबीएसई का लक्ष्य कम से कम दो भारतीय भाषाओं को अनिवार्य बनाकर, विदेशी भाषा सीखने के संबंध में लचीलापन प्रदान करना है। यह निर्णय सरकार के सभी पहलुओं में, सभी के लिए शिक्षा में क्रांति लाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और शिक्षा से संबंधित समसामयिक विषयों पर निबंध लिखने वाले छात्रों के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत में तीन-भाषा सूत्र और शिक्षा प्रशासन को समझना आवश्यक है।

**Current Affairs Capsule for 18 May 2026
(CLASS24)**

